

हुकम	जगमाला पट्टा अग्रवाल-व-कनका हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज पत्थरगढ़ी 2/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
------	---	---

के उपरान्त भी उक्त अग्रवालियों की ओर से आदिशुद्ध कोई दाजिर अदालत नहीं आया। अतः उक्त अग्रवालियों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादते बहस पत्रावली दिनांक 12-06-2018 को पेश है।

12⁰⁶/₁₈ पत्रावली आज राजस्व लौड अदालत अम्बियान न्याय आपके द्वारा 2018 के तहत डेम्प स्थल अटल सेवा केन्द्र, वायरा में पेश है। वकील प्राची 2401 प्रकरण में बहस वकील प्राची सुनी गई। वकील प्राची ने दोराने बहस अपने प्राप्ता में अंतिम तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अग्रवाल प्रकरण में निर्णय पारित किये जाते हैं निवेदन किया।


पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। मुंडि प्रकरण में विवादित आराजिकता का सीमाज्ञान हो चुका है तथा अग्रवालियों का वाणपूष सम्पत्त तामील उपस्थित नहीं आया, अग्रवालियों की ओर स्वीकृति का धोतर है। अतः प्राची का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तन ग्राम सचिवालय अवस्थित रुषि अमि क्रम. 3088, 3089, 3082, 3083, 3087, 3078, 3081, 3132, 3150, 3152, 3090 रकबा 11.57 हे. की मुताबिक सीमा ज्ञान पत्थरगढ़ी किये जाते हैं अतः प्रदान किये जाते हैं। तदसीलदार जखेल नियमा-नुसार शुल्क जमा लेकर उक्त प्रकरण पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्नित करेगा उक्त-

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नाम्बर
अहका
हुक्म
में

नुसार पालनाथ तहसीलदार खण्डेला को तहसीर
आदेश जारी हो। पत्रावली प्रेषित शुभारंभ
होकर नम्बर से कम हो तथा बाप तहसील
कार्रखिल फर्मा हो। निर्वपि मजमे आम सुनाप
बाया।



[Signature]
जानीरथ शाख
उपसुब्ब अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

[Faint, mostly illegible handwritten text in the lower half of the page, possibly a continuation of the order or a separate document.]